

संख्या: 71 /XXIV-2/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 03 ^{फरवरी} जनवरी, 2005

विषय: जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों के भवन निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन/28889/कार्या0भ0/2004-05 दिनांक 16-10-2004, नियोजन-4/37613/कार्यालय भवन /2004-05 दिनांक 10-1-2005, नियोजन-4 /36105/ जिला स्तर पर का0भ0नि0/2004-05 दिनांक 3-1-2005, एवं नियोजन/28000/ अघूरे भवन /2004-05 दिनांक 11-10-2004, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त योजनान्तर्गत निम्नवत कार्यो हेतु उनके सम्मुख अनुमोदित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में उनके सम्मुख अंकित कुल रू0 85.79 लाख (रूपये पिच्चासी लाख उनासी हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या: 588/ XXIV.2/2004 दिनांक 27-8-2004 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 300.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपयों में)

कार्य का नाम	अनुमोदित आगणन की लागत	निर्माण एंजेन्सी का नाम	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4
1. जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय पौड़ी में बैठक कक्ष का निर्माण-	1.80	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी	1.80

2. जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के आवासीय भवनों का निर्माण	17.29	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई-2 हरिद्वार	17.29
3. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी के कार्यालय भवन का निर्माण	26.00	लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी, उत्तरकाशी	6.95
4. जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय भवन का निर्माण	82.50	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा चम्पावत	15.32
5. अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) रुद्रप्रयाग के कार्यालय भवन का निर्माण	34.43	उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रुद्रप्रयाग।	34.43
6. अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) देहरादून के कार्यालय भवन का निर्माण	34.00	लोक निर्माण विभाग देहरादून	10.00
योग-	196.02		85.79

- (1)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (2)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- (3)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (4)- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

l

- (5) - कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (6)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
- (7)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (9)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (10)- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा- आयोजनागत - 202-माध्यमिक शिक्षा- 91 - जिला योजना 9104-जिला स्तर पर जिला शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

१


4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-389/वित्त अनु0-4/05 दिनांक 31-1-2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

गवदीग
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या: 71 (1) / XXIV-2/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
- 4- मण्डलीय अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल-पौड़ी/कुमायूँ मण्डल-नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी - पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून।
- 6- कोषाधिकारी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून।
- 7- जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून।
- 8- वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
- 9- संबंधित निर्माण एजेन्सी।
- 10- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
- ✓ 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव